(1)

प्रपत्र 'क'

नियम एवं शर्ते

निविदा हेतु निविदाताओं पर निम्नलिखित नियम एवं शर्ते लागू होंगी तथा उनकी पुष्टि में आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होंगे :–

1. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड, निर्धारित प्रपत्र में तथा वित्तीय बिड–बी0ओ0क्यू0 (बिल ऑफ क्वान्टिटी) में प्रस्तुत करनी होगी । तकनीकी बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है । वित्तीय बिड में भोजन / सामग्री की दरें तथा कर (जी0एस0टी0)स्पष्ट प्रदर्शित किया जाना होगा । निविदा स्वीकृति के उपरान्त करों में होने वाली वृद्धि भी निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा ।

2. समिति द्वारा जिन निविदादाताओं की तकनीकी बिड अर्ह घोषित की जायेगी, उन्ही निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी । जिनकी तकनीकी बिड अर्ह नहीं पायी जायेगी, उन्हें उक्तवत् सूचित नही किया जायेगा और न ही निविदादाता को अनर्हता का कारण बताया जायेगा तथा सम्बन्धित निविदादाता किसी भी स्तर पर इसकी मांग नही करेंगा ।

3. निविदा प्रपत्र में समस्त सूचनाऐं यथास्थान तथा स्पष्ट लेख में उल्लेखित एवं क्रमबद्ध ' अपलोड ' की जानी है आवेदन पत्र में जो बिन्दु फार्म से सम्बन्धित न हो, उसे काट दिया जायें तथा खाली न छोडा जाये ।

4. निविदा आवेदन पत्र 'इन्टरनेट' के माध्यम से 'डाउनलोड' किया जाना तथा निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपयें 500/–तथा जी0एस0टी0 @ 18 प्रतिशत अर्थात कुल रूपये– 590/– निर्धारित है। जिसे भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के पद नाम से बैंक ड्राफट के माध्यम से तैयार कर सीधे संस्थान को उपलब्ध कराया जाना है ।

5. **धरोहर राशि (Earnest Money)**–रूपये 5000.00 (रूपये पॉच हजार मात्र) की धरोहर राशि भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड पक्ष में धरोहर बैक ड्राफट , एफ0डी0आर0 अथवा बैंक गारंटी, जो देहरादून में देय हो , के रूप में जमाा करना होगा । धरोहर राशि जमा न होने पर निविदा पर विचार नही किया जाएगा । असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदा प्रक्रिया समाप्ति के पश्चात वापस की जाएगी अथवा जमानत धनराशि में समायोजित कर दी जाएगी । सफल नविदादाता द्वारा निर्धारित तिथि तक आवश्यक अनुबंध निष्पादित /अनुबन्ध पूर्ण होने के पश्चात वापस की जाएगी अथवा जमानत धनराशि में समायोजित कर दी जाएगी । सफल निविदादाताओं द्वारा निर्धारित तिथि तक आवश्यक अनुबंध निष्पाादित नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर राजकोष में जमा कर ली जाएगी ।

6. **जमानत राशि (Security Money)–**सफल निविदादाता को भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसके लिए स्वीकृति आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर रूपए 35,000 (रूपए पैंतीस हजार मात्र) की जमानत राशि भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के नाम बंधक रखे गए एफ0डी0अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करना आवश्यक होगा जमानत राशि की वैधता निविदा की अन्तिम वैध अवधि पश्चात कम से कम दो माह होनी चाहिए । जमानत राशि अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापस की जाएगी ।

7. **तकनीकी बिड–** तकनीकी बिड प्रपत्र के साथ निम्नवत् आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र 'अपलोड' कर संलग्न (attach)करने होंगे । समस्त अभिलेख /प्रमाण पत्रों को 'अपलोड' नहीं करने की स्थिति में निविदा स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी ।

7(1)–निविदादाताओं फर्म का बिक्रीकर /सेवाकर विभाग से पंजीकृत प्रमाण पत्र ।

7(2)– फर्म का आयकर पंजीकरण (PAN) ।

7(3)– फर्म का वैध जी0एस0टी0 नं ।

7(4)–वर्ष 2019–20 से 2024–25 तक किन्हीं 02 वर्षो का राजकीय विभागों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं अथवा स्का0गा0 शिविरों में सन्तोष जनक भोजनापूर्ति किये जाने का प्रमाण पत्र ।

7(5)–धरोहर राशि की प्रति ।

7(6)–स्वास्थ्य विभाग/नगरनिगम /अधिकृत संस्था द्वारा जारी भोजन बनाने का वैध लाइसैंस/ प्रमाण पत्र ।

7(7)– निविदादाता का किसी राजकीय विभाग/संस्थान से विधिक विवाद नही होना चाहिए तथा उसे किसी सरकारी /अर्द्ध सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया हो, इस आशय का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र ।

7(8)– राजपत्रित अधिकारी/भारत स्काउट्स एंव गाइड्स उत्तराखंड के न्यूनतम जनपदीय सहायक आयुक्त वारंट धारक/नागरिक सुरक्षा संगठन के अहृ वार्डन द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र छः माह के अन्तर्गत।

8. तकनीकी बिड से सम्बन्धित **निविदा प्रपत्र शुल्क** तथा **अर्नेस्ट मनी** जो भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के नाम देय हो, को पृथक–पृथक लिफाफों मे सील्ड कर संस्थान को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर अथवा सीधे उपलब्ध कराया जा सकता है । इनके निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने पर ई0–निविदा स्वीकार नही की जाएगी ।

9. ई0–निविदा में किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि , निविदा के ऑन–लाइन न खुलने , डाउनलोड न होने आदि की स्थिाति में उस निविदा पर विचार नही किया जाएगा ।

10. **वित्तीय बिड–**वित्तीय बिड अर्थात बी0ओ0क्यू0 मे प्रति सामग्री /प्रतिव्यक्ति (जहां जो लागू हो) तथा कर (जी0एस0टी0) की दरें अलग–अलग कॉलम में दी जानी आवश्यक हैं । निविदादाताओं के द्वारा कोई भी कॉलम खालीनही छोडा जाएगा अर्थात सभी सामग्री तथा करों को दरें भरी जानी अनिवार्य है । कॉलम खाली छोडे जाने की स्थिति में सम्बन्धित निविदा विचारोंपरान्त निरस्त की जा सकती

है । जिस भोजन/सामग्री की दरें प्राप्त की जा रही है उन सभी के लिए कयादेश दिये जाने की बाध्यता नहीं होगी । समिति को 'नेगोशिएसन' का अधिकार होगा ।

11. अधिकतम मूल्य CGST एवं SGST सहित आदि करों सहित शिविर व कार्य्रमों में दिये जाने वाले भोजन का विवरण प्रपत्र 'क' में किया गया । जिनका मूल्य सभी करों को मिलाते हुए निम्न से अधिक नही होना चाहिए ।

प्रति व्यक्ति प्रति दिन अधिकतम 185 रूपए लागत + जीएसटी

12. **आपूर्ति–** कार्यादेश जारी होने की तिथि से समय–समय पर मांग के अनुसार कार्यक्रम व शिविरों में भोजन आपूर्ति की जानी होगी। अनुबन्ध के अनुसार आपूर्ति न करने का अथवा निम्न गुणवत्ता का भोजनादि प्रदत्त किए जाने पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड देहरादून का एक तरफ अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाऐगी ।

13. **भुगतान–** बिल के भुगतान से करों की कटौती नियमानुसार की जाएगी । बिल भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा ई0एफ0टी (इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर)/ई0 पेमेन्ट/चेक के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु सफल निविदादाता को बैंक का नाम, पता, खाता संख्या, खाते का प्रकार , आई0एफ0एस0सी0कोड तथा इलेक्ट्रानिक पेमेंट हेतु हस्ताक्षरित अधिकार पत्र का विवरण कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुम करना होगा। भुगतान बजट प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।

14. **कार्यकाल–** कार्यादेश की तिथि से एक वर्ष तक (अनुबन्ध के अनुसार कार्य की संतुष्टि होने की दशा में) तथा संतोषजनक कार्य होने की दशा में प्रत्येक अगले वर्ष हेतु टेंडर अवधि बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है ।

15. समय–समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन का परीक्षण भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड के शिविर कार्यक्रम /प्रादेशिक मुख्यालय के प्रतिनिधि निर्धारित समिति द्वारा किया जाएगा । अपेक्षानुसार गुणवत्ता न पाये जाने पर समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रथम बार की चेतावनी पर कम से कम 15 प्रतिशत तथा द्वितीय पर 20 प्रतिशत की दर से बिल में कटौती की जाएगी । दो बार की चेतावनी के पश्चात भी गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त करते हुए काली सूची में दर्ज करने का पूर्ण अधिकार प्रादेशिक मुख्यालय, भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड देहरादून को होगा ।

16. भोजन तैयार करने में ब्रांडेड एवं उच्च्य गुणवत्ता की दालें, चावल,आटा, खाद्य तेल एवं नमक तथा एगमार्क मसालों का उपयोग किया जाना होगा । तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं को चावल एवं दालों आदि के नमूने (सैम्पल) प्रस्तुत करने होंगे । आवश्यकता पडने पर इनकी सूची प्रादेशिक मुख्यालय/ प्रादेशिक कैम्पिंग सैन्टर द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है ।

17. वित्तीय बिड में प्राप्त भोजनादि के दरों की युक्तियुक्तता का बाजार मूल्य की युक्तता, प्रचलित बाजार दर, पूर्व क्रय दर एवं अन्य इनपुट कॉस्ट तथा यथार्थ मूल्य (intrinsic value)तथा शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण /कार्यशालाएं आदि के अनुरूप ध्यान में रखकर परीक्षण किया जाएगा । इस मापदंड पर उपयुक्त न पाए जाने पर न्यूनतम दर (एल0–1) प्रस्तुत करने वाली निविदादाता फर्म को भी निविदा समिति के विचारोपरान्त कार्य प्रदत्त (Award)नहीं किया जायेगा ।

18. परिसर में कैंटीन संचालन हेतु किचन एवं प्रादेशिक कैम्पिंग सैन्टर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसका प्रतिमाह किराया रू0 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) प्रतिमाह संचालनकर्ता को कार्यालय में जमा करना होगा।कैंटीन की विद्युत आदि के बिल का भुगतान भी संचालनकर्ता द्वारा सब–मीटर की रीडिंग के अनुसार नियमानुसार जमा किया जायेगा।समयानुसार भुगतान न किये जाने पर यह राशि जमानत राशि से काट दी जाएगी तथा अनुबन्ध समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है ।

19. कैंटीन परिसर/ डायनिंग हॉल/किचन में निविदा प्रक्रिया से चयनित कैन्टीन संचालनकर्ता को नियमानुसार अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करनी होगी ।

20. कान्ट्रेक्टर को श्रम कानून के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के कैन्टीन स्टॉफ को ही कार्य पर रखना होगा, सफल निविदादाता को कैन्टीन स्टाफ का सत्यापन प्रमाण, पहचान पत्र तथा देहरादून के राजकीय चिकित्सक द्वारा उसके स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र (Medical certificate) उपलब्ध कराना होगा ।

21. इसके अतिरिक्त इस प्रकार के कार्य में सरकार द्वारा सभी उपाय व नियमों का पालन करने का उत्तरदायित्व कैन्टीन संचालक का होगा ।

22. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी । नियम व शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा ।

23. चयनित निविदादाता द्वारा यदि निविदा के नियम, शर्तो/अनुबन्ध के अनुरूप कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो उनकी अर्नेस्टमनी /सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी तथा इस सम्बन्ध में अन्यथा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

24. चयनित निविदादाता को अनुबन्ध हेतु एक सौ रूपए का नॉन–ज्यूडिशियल स्टैम्प, जो टिकट के रूप में न हो, प्रादेशिक मुख्यालय/कैम्पिंग सैन्टर को उपलब्ध कराना होगा ।

25. सफल निविदादाताओं कैन्टीन में कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों के एल्कोहल, धुम्रपान तथा अन्य प्रकार का नशा न किए जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा । कर्मचारियों के द्वारा उक्त प्रकार की आदत होने की शिकायत की जांचोपरान्त अनुबन्ध निरस्त किया जाएगा । सफल निविदादाता द्वारा कैन्टीन की सफाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी तथा कूडे का नियमानुसार निस्तारण संचालनकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाएगा ।

26. सफल निविदादाता फर्म कैंटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों का परिचय पत्र व फोटोग्राफ प्रादेशिक कैम्पिंग सैन्टर को उपलब्ध कराये । निविदादाता द्वारा कैन्टीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों का स्वच्छ वेशभूषा (यूनीफार्म), कैन्टीन की स्वच्छता तथा संतुलित व्यवहार सुनिश्चित करना होगा ।

27. बिना कारण बताए नियंत्रक प्रशासनिक अधिकारी प्रादेशिक मुख्यालय भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड देहरादून को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

28. निविदा के परिप्रेक्ष्य में विवाद उत्पन्न होने की दशा मे प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष निर्णयार्थ (Arbitration) प्रस्तुत किया जायेगा । (Arbitration) का निर्णय दोनो पक्षों को मान्य होगा ।

29. इन नियम व शर्तो के अन्तर्गत किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल देहरादून का होगा ।

30. जम्बूरी स्थल पर सम्पूर्ण खाद्य सामान तथा भोजन बनाने वाले सम्पूर्ण उपकरण की देखभाल,रख–रखाव का उत्तरदायित्व निविदा दाता का होगा।

31. निविदा दाता द्वारा दिये गये दर सभी करों (टैक्स) सहित होने चाहिये।

32. यदि ऐसी परिस्थिति आती है किन्ही भी कारणों से L1 उसके पश्चात L2 एवं L3 कार्य करने में असमर्थता जता रहे हों या उनके कार्य ना करने की आशंका प्रबल हो तथा कार्यक्रम निर्धारित हो गया हो और कार्यक्रम को निरस्त करना उचित हो या सम्भव ना हो ऐसी परिस्थिति में प्रादेशिक मुख्यालय बाजार से किन्ही मूल्यों पर और शर्तो पर किसी और से कार्य कराने के लिये स्वतंत्र होगा।

नोट–

1– प्रपत्र 'ख' तकनीकी बिड वेबसाइड के माध्यम से भरकर जमा किया जायेगा तथा भरे हुये प्रपत्र 'ख' फार्म का एक प्रिन्ट आउट लेकर सील बन्द लिफाफे में बिन्दु 8 के अनुसार प्रादेशिक मुख्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2– प्रपत्र 'घ' वित्तीय बिड केवल प्रिन्ट आउट लेकर सील बन्द लिफाफे में मोटे अक्षरों में वित्तीय बिड लिखकर दिनॉक 05.10.2025 अपराहन 05.00 बजे तक प्रादेशिक मुख्यालय उपलब्ध कराना होगा।

प्रशासनिक अधिकारी,
भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

(6)

प्रपत्र 'ख'

तकनीकी बिड

1. निविदादाता/ठेकेदार /फर्म का नामः–

2. पताः–

3. दूरभाषः–

4. निविदादाता/फर्म के मालिक /साझेदारों /ठेकेदार का नामः–

5. व्यापार कर/सेवा कर/जी0एस0टी0 के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र
   (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

6. फर्म का आयकर प्रति (PAN) ।

7. पिछले पांच वर्षो में बालक–बालिकाओं के आवासीय शिविर में भोजन आपूर्ति का सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र । (यदि उपलब्ध हो)

8. धरोहर राशि का विवरण ।

   एफ0डी0आर0/डी0डी0 नं0 ______________________________ दिनांक ________________

   बैंक का नाम ____

9. स्वास्थ्य विभाग/नगरनिगम /अधिकृत संस्था द्वारा जारी भोजन बनाने लाइसैंस का विवरण (प्रति संलग्न) ।

10. राजकीय विभाग / संस्थान से विधिक विवाद न होने / किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में न डाले जाने का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र ।
11. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र छः माह के अन्तर्गत।
12. जम्बूरी / कैम्पूरी / स्का0गा0शिविरों अन्य विभागों की कैन्टीन / तीन दिन आवासीय शिविर कम से कम 50 संख्या वाले में भोजन आपूर्ति का अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो ।
13. अन्य विवरण यदि कोई हों ।
14. संलग्नको का विवरणः—

मैं / हम ______________________________ लिखित रूप से अपनी सहमति देता / देते / हू / हैं कि निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी नियम शर्ते मुझे / हमें मान्य है तथा वित्तीय निविदा (बी0ओ0क्यू0) में अंकित की गई दरों पर भोजन आपूर्ति के लिए मैं / हम तैयार हूँ / हैं । यदि मुझे / हमें भोजन आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाता है तो मैं / हम रूपये 100.00 के गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध के लिए तैयार हूँ / हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर

निविदादाता का नाम व पूरा पता

स्थान :—

दिनांक :—

दूरभाष :—

प्रपत्र 'ग'

भोजन विवरण

प्रति व्यक्ति – बैड टी, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग टी विद स्नैक्स एवं डीनर ।

प्रतिदिन विवरण–

बैड टी– समान्य/लेमन ग्रास ।

ब्रेकफास्ट– पोहा/उपमा/इडली सांबर/हलवा,चना/आलू पूरी/आलू परांठा/वर्मीसेली/ब्रेडपकोडा/ब्रेड ऑम्लेट/जेम बटर
टोस्ट/पास्ता/चीला(दाल का)/मौसमी फल/ वैज सेन्डविच/बोईलड ऐग/चाउमीन/ एवं समान्य चाय ।

लंच– दाल– दाल मखनी/दाल तड़का/राजमा/छोले/कढ़ी पकोडी सहित, मिक्स वैज/पालक मशरूम/मटर मशरूम, चावल, रोटी, पापड/सालाद, आचार, रायता, मिठाई, आदि।

बड़ा खाना का मैन्यू – पनीर– शाही पनीर/मटर पनीर/कढ़ाई पनीर, मिक्स वैज/पालक मशरूम/मटर मशरूम, जीरा राइस, रोटी, पापड, सालाद, आचार, रायता, मिठाई, आदि।

इवनिंग टी विद स्नैक्स –समान्य चाय, बिस्किट/ मुरमूरे की नमकीन/पकोड़ी/गोल गप्पे आदि ।

(प्रत्येक कैम्प में एक दिन बड़ा खाना होगा)

डिनर – दाल– दाल मखनी/दाल तड़का/राजमा/छोले/कढ़ी पकोडी सहित, मिक्स वैज/पालक मश़रूम/ मटर मशरूम, चावल, रोटी, पापड/सालाद, आचार, रायता, मिठाई, आदि।

1–शिविर संचालक से वार्ता कर दोनों की सहमति से मीनू में परिवर्तन किया जा सकता है ।

2–विशेष कार्यक्रम /शिविर में विशेष भोज के लिए प्रशासनिक अधिकारी/लेखा अधिकारी से वार्ताकर दोनों पक्ष को सहमति पर अतिरिक्त मूल्यों पे उन्नत भोजन की व्यवस्था की जा सकती है।

3–सर्व प्रथम घ–2 में तारांकित सामग्री/व्यंजन के योग से L1, L2, L3 निर्धारित किया जायेगा। L1 में एक से अधिक आने की स्थिति में घ–1 का दोनों जो समान आये हैं, उनका न्यूनतम देखा जायेगा। घ–2 से गैर तारांकित योग देखा जायेगा यदि यहॉ पर भी समान दरें होती हैं तो Negociation किया जायेगा।

परियोजनाएं निदेशक, प्रशासनिक अधिकारी एवं शिविर संचालक या कार्यक्रम करवाये जाने वाले इकाई की मॉग पर उच्च गुणवत्ता की Crockery, Furniture साज–सजावट की व्यवस्था एवं तारांकित व्यंजन हेतु मूल्य न्यूनतम प्रतिव्यक्ति प्रति दिन (एक समय का खाना, एक समय की चाय नाश्ता, आधे दिन का खाना आदि जो भी कार्यक्रम के अनुसार हो) निर्धारित मूल्य रू. 350.00 एवं उससे अधिक लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे, जिस पर लेखा अधिकारी अनुकुल बजट की उपलब्धतानुसार प्रादेशिक सचिव की अनुमति से आपूर्ति आदेश निर्गत कर सकता है।

दोनों पक्षों की सहमति पर समान्य सम्पादित किये जाने वाले शिविर जिनका भोजन मूल्य रू. 185.00 अथवा रू. 350.00 है उनके अतिरिक्त अन्यं शिविर एवं विशेष कार्यक्रमों में तारांकित व्यंजनों के आधार पर भोजन निर्धारित किया जा सकता है अथवा 185 में व 350 में जोड़ा जा सकता है।

4–शिविर /कार्यक्रम में प्रतिभागियों की संख्या न्यूनतम् 10 होगी ।

प्रशासनिक अधिकारी,
भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड

प्रपत्र 'घ –1'

वित्तीय बिड

(सील बन्द लिफाफे में तथा मोटे अक्षरों में वित्तीय बिड लिखकर कार्यालय में जमा की जानी है)

भोजन के मूल्य

प्रत्येक प्रतिभागी हेतु

कम संख्या	विवरण	मूल्य
1	बैड टी– समान्य / लेमन ग्रास	
2	ब्रेकफास्ट– पोहा / उपमा / इडली सांबर / हलवा,चना / आलू पूरी / आलू परांठा / वर्मीसेली / ब्रेडप कोडा / ब्रेड ऑम्लेट / जेम बटर टोस्ट / पास्ता / चीला (दाल का) / मौसमी फल वैज सेन्डविच / बोईलड ऐग / चाउमीन / एवं समान्य चाय । परांठा / ब्रेड पकोडा एवं समान्य चाय / सूप / दूध / जूस ।	
3	**लंच**– दाल– दाल मखनी / दाल तड़का / राजमा / छोले / कढ़ी पकोडी सहित, मिक्स वैज / पालक मशरूम / मटर मशरूम, चावल, रोटी पापड / सालाद, आचार, रायता, मिठाई, आदि। **बड़ा खाना का मैन्यू** – पनीर– शाही पनीर / मटर पनीर / कढ़ाई पनीर, मिक्स वैज / पालक मशरूम / मटर मशरूम, जीरा राइस, रोटी, पापड, सालाद, आचार, रायता, मिठाई, आदि।	
4	**इवनिंग 10ी विद स्नैक्स** –समान्य चाय, बिस्किट / मुरमूरे की नमकीन / पकोड़ी / गोल गप्पे आदि ।	
5	**डिनर** – दाल– दाल मखनी / दाल तड़का / राजमा / छोले / कढ़ी पकोडी सहित, मिक्स वैज / पालक मशरूम / मटर मशरूम, चावल, रोटी, पापड / सालाद, आचार, रायता, मिठाई, आदि।	

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा—

- मैं /हम यह प्रमाणित करता/करते हैं कि मैने/हमने निविदा के नियम एवं शर्तो को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा सभी नियम एवं शर्तो की मैं /हम पालन करने का वचन देता/देते है।
- कोई भी अन्य मूल्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स उत्तराखण्ड द्वारा देय नहीं होगा।
- अनुबन्ध काल में दरों में कोई भी वृद्धि नही की जायेगी।
- निविदा के नियम शर्तें प्रपत्र 'क' कि सभी बिन्दुओं को एवं प्रपत्र ' ग 'को भलीभाति पढ़ एवं समझ लिया है तथा सभी में सहमति व्यक्त/मान्य करते है/करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मुहर

नाम —

मुहर —

पता —

दूरभाष संख्या—

Mothrowala Road, Ajabpur chowk Dehradun 248001(U.K.), Tel-0135-3595208
Email- bsguttarakhandstatehq@gmail. com, bsguttarakhand@gmail.com, Website- www.bsguttarakhand.org

प्रपत्र 'घ – 2'

वित्तीय बिड

(सील बन्द लिफाफे में तथा मोटे अक्षरों में वित्तीय बिड लिखकर कार्यालय में जमा की जानी है)

भोजन के मूल्य

प्रत्येक प्रतिभागी हेतु

तारांकित	मूल्य	अन्य	मूल्य
सूप		कोलड्रिंक	
जूस		वैज फराइड स्नैकस	
दूध		वैज ग्रील्ड स्नैकस	
चाय		नॉन वैज फराइड स्नैकस	
कॉफी		नॉन वैज ग्रील्ड स्नैकस	
पकोड़ी		डोसा सांमर	
मुरमुरे विद नमकीन प्याज टमाटर		उत्तपम	
ब्रेड ऑम्लेट		दूध कार्नफलैक्स	
जेम/बटर टोस्ट		पाव भाजी	
पोहा		मनचुरियन	
पास्ता		टिक्की	
इडली सांमर		दही बल्ले	
चीला (दाल का)		चाट	
नाश्ते में मौसमी फल		तोर की दाल	
उपमा		सोया चाप मसाला करी	
हलवा चना		दम आलू	
आलू पराठा आचार सहित		मलाई कोफता	
पुड़ी सब्जी		तवा वैज	
वैज सेन्डविच		नॉन वैज (फिश)	
बोईल ऐग		बटर नान	
चाउमीन		गाजर का हल्वा	
गोलगप्पा		मुंग की दाल का हल्वा	
दाल मखनी		सुजी का हल्वा	
दाल तड़का		खीर	
राजमा		ईमर्ती	

कड़ी पकोड़ी सहित		रस मलाई	
छोले		जलेबी	
पनीर – (बटर पनीर, शाही पनीर, कड़ाई पनीर, पनीर लबाबदार)		शाही टुकडा	
मिक्स वैज			
पालक मशरूम / मटर मशरूम			
रायता			
नॉन वैज (चिकन)			
नॉन वैज (मटन)			
चावल (प्लेन)			
चावल (जीरा)			
राइज (पुलाव)			
तवा रोटी			
नान			
सलादा			
पापड़			
गुलाब जामून			
आईस्क्रम			
योग		**योग**	

(14)

प्रपत्र 'ङ'

समय सारिणी

क्रम संख्या	विवरण	निर्धारित तिथि
1	www.bsguttarakhand.org पर निविदा उपलब्ध / डाउनलोड़ / तकनीकी बिड अपलोड़ किये जाने की प्रारम्भिक तिथि	25—09—2025
2	www.bsguttarakhand.org पर निविदा उपलब्ध / डाउनलोड़ / तकनीकी बिड अपलोड़ किये जाने की अन्तिम तिथि	05—10—2025
3	तकनीकी बिन्दु / वित्तीय बिड अलग—अलग सील बन्द लिफाफे में प्रादेशिक मुख्यालय देहरादून में जमा करने की अन्तिम तिथि	05—10—2025 रविवार (अपराह्न 05.00 बजे तक)
4	तकनीकी बिड कार्यशाला	06—10—2025 (पूर्वाहन 11.30 बजे तक)
5	वित्तीय बिड़ खोले जाने की तिथि	07—10—2025 (अपरान्ह 12.00 बजे तक)

- तकनीकी बिड ऑनलाइन वेबसाइड के माध्यम से जमा होगी तथा उसका प्रिन्ट आउट को बन्द लिफाफे में अन्तिम तिथि 05.10.2025 अपराह्न 05.00 बजे तक प्रादेशिक मुख्यालय देहरादून में जमा किया जाना होगा।
- वित्तीय बिड सील बन्द लिफाफे में अन्तिम तिथि 05.10.2025 अपरान्ह 05.00 बजे तक प्रादेशिक मुख्यालय देहरादून में जमा किया जाना होगा।
- तकनीकी बिड कार्यशाला के समय एवं वित्तीय बिड खोले जाने के समय निविदा दाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि मुख्यालय में उपस्थित रह सकते है।
- तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड कार्यशाला / खोले जाने के समय निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि ,जो भी उपस्थित हो ,उनकी उपस्थिति में कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

प्रशासनिक अधिकारी,
भारत स्काउटस एवं गाइड्स उत्तराखण्ड